

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

e-Auction विवरण पुस्तिका

आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्ड, भवनों एवं
फ्लैट्स

“जहाँ है, जैसा है,” के आधार पर

e-Auction पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तें

(दिनांक 07-03-2025 से 29-03-2025 तक)

e-Auction का प्रोग्राम : प्राधिकरण की वेबसाईट mdameerut.in पर url
<https://mda.procure247.com> लिंक पर उपलब्ध है ।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रुपये 590/- मात्र

(विवरण पुस्तिका मूल्य रू0 500/- + 18 प्रतिशत GST रू0 90/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्ड e-AUCTION पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें—

1. आवासीय सम्पत्तियों (आवासीय भूखण्ड, भवन एवं बहुमंजिले फ्लैट्स) का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com> लिंक पर उपलब्ध है।
2. e-Auction में भाग लेने हेतु पात्रता—
 - (क) आवेदक भारत का नागरिक हो।
 - (ख) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये।
 - (ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (घ) प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (ङ) व्यक्तिगत स्वामी।
 - (च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
 - (छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।
 - (ज) एच0यू0एफ0।
 - (झ) पंजीकृत कंसोर्टियम (Consortium) फर्म।
 - (ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)।
3. आवेदक को e-Auction में सफल घोषित होने (आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने) के पश्चात् निम्नलिखित अभिलेख प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने होंगे:—
 - (1) भवनों/भूखण्डों/फ्लैट्स की स्वःहस्ताक्षरित विवरण पुस्तिका।
 - (2) निर्धारित Document Fee व EMD के भुगतान की रसीदें।
 - (3) पैन कार्ड की प्रति।
 - (4) आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (5) कौन्सिल चैक की प्रति।
 - (6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (7) कम्पनी/फर्म आदि की स्थिति में GST पंजीयन प्रमाण की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।

4. प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com> लिंक पर उपलब्ध e-Auction के निर्धारित प्रोग्राम अनुसार आवेदकों की bids नियत दिनों के e-Auction Programme में आमन्त्रित है।
5. e-Auction में शामिल सम्पत्तियाँ इस विवरण पुस्तिका में शामिल हैं जो प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com> लिंक पर उपलब्ध है।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क (Document Fee) रुपये 590/- मात्र ऑन लाईन भुगतान करना होगा।
7. प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com> लिंक पर उपलब्ध है, के सापेक्ष करना होगा।
8. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय तथा असफल होने के पश्चात् उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी।
9. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से EMD की धनराशि प्रेषित करने की दशा में वापसी की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
10. e-Auction के दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गयी दरे किसी भी दशा में कम/वापस नहीं लिया जा सकेगा।
11. e-Auction में भाग लेने हेतु आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com> लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तत्पश्चात् e-Auction में भाग लेने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee व EMD धनराशि का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा करानी होगी।

12. यदि आवेदक e-Auction के माध्यम से एक से अधिक आवासीय सम्पत्ति (भवन/भूखण्ड/प्लैट्स) लेने का इच्छुक है तो आवेदक को प्रत्येक सम्पत्ति की emd on line जमा करना होगा। e-Auction की Id: में शामिल सम्पत्तियों के समूह में से उच्च emd धारकों को समान emd वाले अन्य आवासीय सम्पत्तियों (भवन/भूखण्ड/प्लैट्स) व कम emd वाले आवासीय सम्पत्तियों (भवन/भूखण्ड/प्लैट्स) के सापेक्ष e-Auction में बिड देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। सम्बन्धित उच्च emd धारक बिडर की बिड High (H-1) रहने तक किसी अन्य सम्पत्ति पर बिड देने का अधिकार नहीं होगा तथा सम्बन्धित आवासीय सम्पत्तियों (भवन/भूखण्ड/प्लैट्स) के सापेक्ष अन्य बिडर द्वारा बिड देने के फलस्वरूप, उच्च emd धारक बिडर की बिड High से Low होने पर अर्थात् High (H-1) न होने की स्थिति में उसे समान emd वाले अन्य आवासीय सम्पत्तियों (भूखण्ड/भवन/बहुमंजिले प्लैट्स) अथवा कम emd वाले आवासीय सम्पत्तियों (भूखण्ड/भवन/बहुमंजिले प्लैट्स) के सापेक्ष e-Auction में बिड देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
13. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (Document Fee) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाइट mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com> लिंक पर e-AUCTION में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-AUCTION हेतु निर्धारित खाते में जमा कर दी है, नियत दिनांक को केवल वें आवेदक ही e-AUCTION में भाग ले सकते हैं।
15. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त सम्पत्तियों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक सम्पत्ति के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है। आवेदकों द्वारा विवरण पुस्तिका की तालिका में प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम बिड (MINIMUM PER SQM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेंगे। अतः आवेदक द्वारा अपनी न्यूनतम बिड के बराबर अथवा उससे ऊपर अपनी बिड दी जा सकेगी।
16. e-Auction के सफल आवेदकों को, e-Auction के प्रोग्राम से डाउनलोड की गयी विवरण पुस्तिका आवंटन कम किशत जारी दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर समस्त स्वः हस्ताक्षरित प्रपत्रों सहित (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
17. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। आवेदकों की उच्चतम दर के सम्बन्ध में

समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

18. e-Auction के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम दर देने वाले आवेदक/e-Auction पद्धति से उच्चतम दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि (EMD), e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी।
19. आवेदक इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee & EMD धनराशि अपने खाते से भुगतान करेगा। एक से अधिक सम्पत्ति हेतु प्रतिभाग करने के लिये आवेदकों का अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रत्येक सम्पत्ति के लिये पृथक-पृथक डोकुमेन्ट फीस व पृथक-पृथक EMD जमा करनी होगी।
20. e-Auction में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक आवेदक को e-Auction के नियत दिनांक को उनके नाम की विशिष्ट पहचान कम्प्यूटर द्वारा दी जायेगी।

- आवेदक विवरण पुस्तिका के नियम/शर्त सं0 21 में वर्णित HDFC BANK तथा INDIAN BANK के ACCOUNT में DOCUMENT FEE एवं EMD AMOUNT जमा न करें।
- आवेदक ई-ऑक्शन में प्रतिभाग करने हेतु रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् जमा की जाने वाली DOCUMENT FEE एवं EMD AMOUNT का e-Auction के प्रोग्राम में खुलने वाले PAYMENT LINK पर ही भुगतान करें।
- नियम/शर्त सं0 21 में उल्लिखित HDFC BANK तथा INDIAN BANK ACCOUNT केवल E-AUCTION में सफल आवेदकों द्वारा आवंटन धनराशि व किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जमा करने हेतु ही प्रयोग में लाया जाना है।

21. आवेदकों के पक्ष में e-Auction पद्धति से भूखण्ड आवंटित हो जाने के पश्चात्, आवासीय सम्पत्तियों (भूखण्ड/भवन/बहुमंजिले फ्लैट्स) का फ्रीहोल्ड/लीजरेन्ट सहित मूल्य” पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति “आवासीय सम्पत्तियों (भूखण्ड/भवन/बहुमंजिले फ्लैट्स) का फ्रीहोल्ड/लीजरेन्ट सहित मूल्य” पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि आवेदकों को मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं0 AAALM0124D पर स्वयं जमाकर रसीद की छाया प्रति एवं आयकर विभाग द्वारा जारी “टी0डी0एस0 जमा का प्रमाण पत्र” प्रार्थना पत्र के साथ मेरठ विकास

प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा। सम्पत्ति के आवंटन-कम-किश्त में उल्लिखित आवंटन धनराशि व सब्याज निर्धारित देय किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जो प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सूचित की गयी हो, सफल आवेदकों द्वारा प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक (Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679) में अथवा एच0डी0एफ0सी0बैंक, सूर्यान्श प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (Details For RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911) उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट जो मेरठ में देय हो, के द्वारा जमा करते हुए, जमा रसीद की छाया प्रति सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

22. e-AUCTION के पश्चात् भूखण्ड का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के बाद स्थलीय माप अनुसार भूखण्ड का साईट प्लान प्राप्त होने पर यदि सम्पत्ति कॉर्नर पर स्थित होनी पायी जाती है तो भूखण्ड का मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज पृथक से देय होगा। यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल में वृद्धि पायी जाती है तो नियमानुसार भूमि का अतिरिक्त मूल्य देय होगा तथा सम्पत्ति के मूल्य में कॉर्नर चार्ज शामिल करके 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड देय होगा। तदनुसार भवन में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज व कॉर्नर चार्ज सहित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड तथा फ्लैट्स में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज व कॉर्नर चार्ज सहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट पृथक से देय होगा।
23. प्रतिभागी द्वारा e-Auction & Online bids में दी गयी उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि शामिल करते हुए जारी किया जायेगा। आवेदकों को उच्चतम् दर की स्वीकृति का सूचना पत्र/आवंटन कम किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। उच्च आय वर्ग श्रेणी के सम्पत्ति की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाही किश्तों में 10.50% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। मध्यम आय वर्ग श्रेणी के सम्पत्ति की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाही किश्तों में 10.50% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। **प्रत्येक श्रेणी की सम्पत्ति के सापेक्ष पहली छमाही किश्त आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार शेष अगली 05 छमाही किश्तें 6-6 माह के अन्तराल पर भी देय होगी।** आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण आवंटन कम किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। इसी प्रकार फ्रीहोल्ड आधार पर आवंटित भवनों में निहित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड धनराशि शामिल करके एवं लीजहोल्ड आवासीय सम्पत्ति (फ्लैट्स) में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि शामिल करके सम्पत्ति का सब्याज आवंटन कम किश्त पत्र निर्गत किया जायेगा।
24. सम्पत्ति का आवंटन-कम-किश्त पत्र निर्गत होने के साथ-साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आईडी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा। आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

25. दण्ड ब्याज—

उच्च आय वर्ग श्रेणी के सम्पत्ति की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा। मध्यम आय वर्ग श्रेणी के सम्पत्ति की देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

26. e-AUCTION का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त प्रत्येक दशा में एक माह की अवधि में जमा होने वाली नियत धनराशि, जमा न होने की दशा में आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जायेगा तथा निरस्तीकरण के दिनांक के दो माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) निरस्त सम्पत्ति पुर्नबहाली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कराता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि प्रत्येक दशा में जब्त कर ली जायेगी।

27. सम्पत्ति का विधिवत् आवंटन कम किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त धनराशि जमा न होने पर आवंटन निरस्त करके सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि में से 25% धनराशि की कटौती करते हुए बची हुई अवशेष धनराशि वापस की जायेगी। सम्पत्ति के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के दो माह के अन्दर यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder)/आवेदक, निरस्तशुदा सम्पत्ति को पुर्नबहाली नहीं कराता है तो सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जायेगा। यदि उच्चतम् दरदाता (Highest bidder)/आवेदक, सम्पत्ति के निरस्तीकरण के उपरान्त दो माह में सम्पत्ति की पुर्नबहाली कराना चाहे तो दिनांक 07-12-2016 को सम्पन्न 108वीं बोर्ड बैठक द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयानुसार पुर्नबहाली प्रक्रिया अपनाकर सम्पत्ति की पुर्नबहाली की जायेगी तथा सम्पत्ति की देनदारी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी।:-

मद सं०-08	प्राधिकरण की योजनाओं में आबंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भुगतान शिडयूल के अनुसार देय धनराशि समय से जमा न करने पर हुए निरस्तीकरण उपरान्त बहाली के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन रेस्टोरेशन का निर्णय लिया गया— (1) रेस्टोरेशन से पूर्व अध्यावधिक किश्तों में शामिल ब्याज की धनराशि को जमा करने पर ही रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय। (2) सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य (जिलाधिकारी की सर्किल दर) या नीलामी दर जो भी अधिक हो, पर रेस्टोरेशन की कार्यवाही की जाय।
-----------	--	--

28. कब्जा हस्तान्तरण—

(अ) आवंटित सम्पत्ति का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, सम्पत्ति के निहित भूमि मूल्य पर देय लोकेशन चार्ज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड/10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, लोकेशन चार्ज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त, किन्तु भूखण्ड के सम्मुख विकास कार्य पूर्ण होने, जिसमें लगभग एक वर्ष

का समय लगना सम्भावित है, के पश्चात् देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(ब) किशतों के आवंटियों को सम्पत्ति के लोकेशन व फ्रीहोल्ड चार्ज सहित मूल्य का 40% (चालीस प्रतिशत) धनराशि की अदायगी की अवधि अथवा एक वर्ष जो भी बाद में हो, के पश्चात् प्रचलित पानी सीवर चार्ज, रोड़ कटिंग चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किशतों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक आवंटियों को देय किशतों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, सम्पत्ति में लोकेशन चार्जेज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड/10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, लोकेशन चार्जेज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर कब्जा अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

29. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प देयता का वहन आवंटी द्वारा किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् सम्पत्ति की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रुपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
30. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य में कार्नर पर स्थित सम्पत्तियों में देय अतिरिक्त 10% धनराशि सम्मिलित नहीं है। यदि आवंटित सम्पत्ति का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। भूखण्ड/भवन/प्लैट कार्नर का होने की दशा में उच्चतम दर का 10% कार्नर चार्ज अतिरिक्त देय होगा जिसको फ्रीहोल्ड चार्ज की भाँति, सम्पत्ति की कीमत में शामिल करते हुए किशतें निर्धारित की जायेगी।
31. सम्पत्ति की रजिस्ट्री के समय लोकेशन चार्जेज शासनादेश के अनुसार देय होंगे।
32. फ्रीहोल्ड चार्ज का 12% अंश/10 प्रतिशत लीजरेन्ट सम्पत्ति के सकल मूल्य में जोड़कर ही सामान्य किशतों के रूप में लिया जायेगा।
33. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
34. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवम् प्रचलित भवन निर्माण एवम् विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों, उप-नियमों के अनुसार ही अनुमन्य किया जायेगा।
35. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
36. परिसम्पत्ति का आवंटन "जहाँ है जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।

37. अन्य शर्तें—

(1) मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर एवं लोहिया नगर योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाएँ नगर निगम को हस्तान्तरित है। नगर निगम को हस्तान्तरित सभी योजनाओं की सभी सम्पत्तियों की आवासीय दरें मा0 बोर्ड के निर्णयानुसार जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित दरें लेकर नियमानुसार आवासीय सम्पत्तियों की आरक्षित दरें निर्धारित की गयी है। शताब्दी नगर एवं लोहिया नगर योजना जो नगर निगम मेरठ को हस्तान्तरित नहीं है, की आवासीय दरें मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है, से लेकर नियमानुसार आवासीय सम्पत्तियों की आरक्षित दरें निर्धारित की गयी है। सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य में नियमानुसार कार्नर एवं पार्क चार्ज शामिल किया गया है।

(2) e-Auction की प्रक्रिया में प्रथम बार शामिल सभी सम्पत्तियों की e-Auction में कम से कम 03 बिडर का होना अनिवार्य है तथा प्रथम बिड के पश्चात् शासन की गाईड लाईन्स 2001 के अनुसार कम से कम 02 बिडर का होना अनिवार्य है। e-Auction में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

(3) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में सम्पत्ति का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

(4) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये e-AUCTION पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-AUCTION से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

(5) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

(6) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो आवंटी से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।

(7) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन 2017 के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा।

(8) आवंटित सम्पत्तियों पर विक्रय/कब्जा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पूर्व यदि सम्पत्ति के क्षेत्रफल में कोई कमी/वृद्धि होती है तो आवंटी को तदनुसार

वृद्धि की दशा में तत्समय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि की अदायगी करनी होगी।

(9) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

e-Auction में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

आवेदक का
फोटोग्राफ

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:—

हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

पति का नाम

मो०नं० व

Email id :

पता

.....

.....

ई-ऑक्शन में शामिल आवासीय सम्पत्तियों की सूची

Sl. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE PER SQM.	RESERVE VALUE IN RUPEES	10% emp	MINIMUM BID FOR AUCTION
GANGA NAGAR HOUSING SCHEME								
1.	H	LMP-17	205.7	HIG-2	21450	4412265	441227	215
2.	T-3	LMP-12	200	HIG-2	21450	4290000	429000	215
3.	P	5A	92.5	MIG-1	19500	1803750	180375	195
4.	P	5B	90	MIG-1	19500	1755000	175500	195
PALLAV PHASE-1 & 2						0	0	0
5.	C	C-156	147.5	MIG-2	22000	3245000	324500	220
6.	C	C-157	147.5	MIG-2	22000	3245000	324500	220
7.	C	C-162	147.5	MIG-2	22000	3245000	324500	220
8.	C	C-171	147.5	MIG-2	22000	3245000	324500	220
9.	G	G-35	200	HIG-2	22000	4400000	440000	220
10.	G	G-118	261	HIG-2	22000	5742000	574200	220
11.	H	H-77	120	MIG-1	22000	2640000	264000	220
12.	H	H-81	120	MIG-1	22000	2640000	264000	220
13.	H	H-109	120	MIG-1	22000	2640000	264000	220
14.	H	H-118	120	MIG-1	22000	2640000	264000	220
15.	I	I-49	112.5	MIG-1	22000	2475000	247500	220
16.	J	J-122	108.414	MIG-1	24200	2623619	262362	242
17.	Q	Q-206	200	HIG-2	24000	4800000	480000	240
18.	Q	Q-209	180	HIG-1	22000	3960000	396000	220
DEFENCE ENCLAVE HOUSING SCHEME						0	0	0
19.	C	C-95/1	330	HIG-2	24500	8085000	808500	245
PANDAV NAGAR HOUSING SCHEME						0	0	0
20.	D	LMP-101	145	MIG-2	28900	4190500	419050	289
21.	G	E-1	104.71	MIG-1	27700			

SARADHAPURI PH-2 HOUSING SCHEME						0	0	0
35.	E	E-169/1	144.75	MIG-2	25850	3741788	374179	259
36.	E	E-291/1	162	HIG-1	25850	4187700	418770	259
37.	E	E-291/4	162	HIG-1	23500	3807000	380700	235
38.	E	E-291/5	162	HIG-1	23500	3807000	380700	235
39.	E	E-291/6	162	HIG-1	25850	4187700	418770	259
40.	E	E-291/7	162	HIG-1	25850	4187700	418770	259
41.	E	E-291/8	162	HIG-1	23500	3807000	380700	235
42.	E	E-291/9	162	HIG-1	25850	4187700	418770	259
43.	E	E-291/10	162	HIG-1	25850	4187700	418770	259
44.	E	E-291/11	162	HIG-1	25850	4187700	418770	259
45.	E	E-291/12	162	HIG-1	28200	4568400	456840	282
DR RAM MANOHAR LOHIA NAGAR						0	0	0
46.	I	I-198A	200	HIG-2	15700	3140000	314000	157

SI. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE PER SQM.	RESERVE VALUE IN RUPEES (CONSTRUCTION+L AND COST)	10% emp	MINIMUM BID FOR AUCTION
PANDAV NAGAR HOUSING SCHEME								
1	J	J-35	135.65	LIG HOUSE	27700	4638000	463800	46380
2	G	LS-15	53.94	LIG FLAT	27700	1680000	168000	16800